उत्तराखण्ड फिल्म नीति–2022

प्रस्तावित ड्राफ्ट

1. संक्षिप्त नाम एवं परिचय :

1. (1) यह नीति ''उत्तराखण्ड फिल्म नीति–2022'' कहलायेगी।

2. प्रस्तावना :

उत्तराखण्ड राज्य के नैसर्गिक सौन्दर्य एवं लोक संस्कृति को विश्व पटल पर लाये जाने के उद्देश्य से **''उत्तराखण्ड फिल्म नीति–2022''** सूचना एवं लोक सम्पर्क विभाग, उत्तराखण्ड के अधीन गठित उत्तराखण्ड फिल्म विकास परिषद द्वारा क्रियान्वित की जायेगी। इसका मुख्य उद्देश्य उत्तराखण्ड राज्य में देश–विदेश से फिल्म निर्माता/निर्देशक को शूटिंग हेतु आकर्षित करने, फिल्म सेक्टर में अवस्थापना सुविधाओं का विकास करते हुए स्थानीय स्तर पर रोजगार एवं आय के साधन सृजित करने, क्षेत्रीय फिल्म जगत को मजबूती प्रदान करने एवं पर्यटन उद्योग को बढ़ावा देने, फिल्मों को अनुदान, फिल्म पुरस्कार–सम्मान, उत्तराखण्ड की बोलियों में बनने वाली फिल्मों एवं कलाकारों को प्रोत्साहन एवं एकल खिड़की व्यवस्था (Single Window System) जैसे विषयों का समावेश किया गया है।

3. उद्देश्य :

3(1) उत्तराखण्ड में फिल्मों के माध्यम से रोजगार सृजित करना।
3(2) फिल्म उद्योग के माध्यम से उत्तराखण्ड में अतिरिक्त पूंजी निवेश आकर्षित करना।
3(3) नये शूटिंग स्थलों तथा फिल्म शूटिंग हेतु अवस्थापना सुविधाओं का विकास करते हुए राज्य को फिल्म शूटिंग हेतु महत्वपूर्ण केन्द्र के रूप में विकसित करना।
3(4) उत्तराखण्ड के स्थानीय कलाकारों को रोजगार उपलब्ध कराना।
3(5) उत्तराखण्ड के स्थानीय युवाओं को फिल्म के क्षेत्र में प्रशिक्षित किये जाने हेतु फिल्म से संबंधित कोर्स प्रारम्भ करना।
3(6) फिल्म के माध्यम से प्रदेश में पर्यटन, सांस्कृतिक विरासत एवं पुरातत्व धरोहर आदि के महत्व को बढ़ाने के साथ–साथ इनका प्रचार–प्रसार सुनिश्चित करना।
3(7) पर्वतीय क्षेत्रों में नये सिनेमाघरों, मल्टीप्लेक्स एवं मोबाईल थियेटर की स्थापना हेतु वित्तीय सहयोग प्रदान करना।
3(8) उत्तराखण्ड में फिल्म उद्योग को बढ़ावा देने के उद्देश्य से फिल्म पोस्ट प्रोडक्शन स्टूडियो, प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना हेतु वित्तीय सहयोग प्रदान करना।
3(9) उत्तराखण्ड में फिल्म उद्योग को बढ़ावा देने हेतु उत्तराखण्ड में फिल्माई गई क्षेत्रीय एवं अन्य भाषाओं की फिल्मों के कलाकारों को प्रोत्साहित करने के लिए पुरस्कार प्रदान करना।
3(10) विदेशी, हिन्दी एवं अन्य भाषाओं की फिल्मों को उत्तराखण्ड राज्य में शूटिंग हेतु प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से अनुदान प्रदान करना।
3(11) उत्तराखण्ड राज्य की स्थानीय बोली को बढ़ावा देने के उद्देश्य से स्थानीय कलाकारों एवं फिल्मों को प्रोत्साहित करने के लिए अनुदान प्रदान करना।

4. परिभाषाएं :

4(1) 'फिल्मों' की परिभाषा वही होगी, जो भारतीय सिनेमैटोग्राफी अधिनियम वर्ष, 1952 में दी गयी है।
4(2) 'परिषद' से अभिप्राय 'उत्तराखण्ड फिल्म विकास परिषद' अभिप्रेत है।
4(3) 'सरकार/शासन' से अभिप्राय 'उत्तराखण्ड सरकार/शासन' अभिप्रेत है।
4(4) 'कार्यकारी मण्डल' से अभिप्राय 'फिल्म विकास परिषद का कार्यकारी मण्डल'' (Executive Board) अभिप्रेत है।
4(5) 'पोस्ट प्रोडक्शन स्टूडियों' से तात्पर्य फिल्मों की प्रोसेसिंग, एडीटिंग, कलरिंग, साउण्ड, वी.एफ.

एक्स., एनिमेशन से अभिप्रेत है।

4(6) 'ओ.टी.टी. प्लेटफॉर्म' से तात्पर्य इण्टरनेट के माध्यम से फिल्मों/वेबसीरिज के प्रसारण करने से अभिप्रेत है।

4(7)'वैबसीरिज' से तात्पर्य किसी एपिसोड़ की एक श्रृंखला जिसे इण्टरनेट के माध्यम से प्रसारण करने से अभिप्रेत है।

4(8) 'सिनेमाघर' से तात्पर्य वह स्थान जहां नियमित रूप से सिनेमा दिखाया जाता हो, से अभिप्रेत है।

4(9) 'मल्टीप्लेक्स' से तात्पर्य वह स्थान जहां एक ही स्थान पर एक से अधिक फिल्म स्क्रीन हो, तथा नियमित रूप से सिनेमा दिखाया जाता हो, से अभिप्रेत है।

4(10) 'मोबाईल थियेटर' से तात्पर्य वह वाहन जिसमें विभिन्न स्थानों पर जाकर सिनेमा दिखाया जाता हो, से अभिप्रेत है।

4(11) 'फिल्म प्रशिक्षण संस्थान' से तात्पर्य वह स्थान जहां फिल्म एवं टेलिविजन से संबंधित विषयों पर प्रशिक्षण प्रदान किया जाता हो, से अभिप्रेत है।

4(12) हिन्दी एवं अन्य भाषाओं से तात्पर्य, संविधान की 8वीं अनुसूची में उल्लिखित भाषा से अभिप्रेत है।

4(13) 'उत्तराखण्ड की क्षेत्रीय बोली' का तात्पर्य उत्तराखण्ड राज्य में बोली जाने गढ़वाली, कुमांऊनी व जौनसारी बोली से अभिप्रेत है।

4(14) 'महानिदेशक' से तात्पर्य विभागाध्यक्ष सूचना एवं लोक सम्पर्क विभाग से अभिप्रेत है।

5. फिल्म उद्योग हेतु अवस्थापना विकास : उत्तराखण्ड के पर्वतीय क्षेत्रों में नये सिनेमाघरों, मल्टीप्लेक्स, मोबाईल थियेटर, पोस्ट प्रोडक्शन स्टूडियो तथा प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना करने का मुख्य उद्देश्य राज्य में फिल्म उद्योग को मजबूत करना है। फिल्म उद्योग को मजबूती प्रदान हेतु निम्नानुसार अनुदान/वित्तीय सहयोग प्रदान किया जायेगा।

श्रेणी	वित्तीय सहायता/अनुदान	पात्रता
5.(1) नये सिनेमाघर	पर्वतीय क्षेत्रों के सिनेमाघर में प्रयोग होने वाले उपकरणों के क्रय पर होने वाले व्यय का 25 प्रतिशत या अधिकतम रु. 25 लाख तक।	1. वित्तीय सहयोग की धनराशि संबंधित फर्म/कंपनी/संस्थान को एक बार ही अनुमन्य होगी। 2. अनुदान की धनराशि नये सिनेमाघर पूर्ण होने पर दी जायेगी। 3. प्रोजेक्ट पूर्ण होने का प्रमाण पत्र संबंधित जिलाधिकारी से प्राप्त करना होगा। 4. उपकरण क्रय करने पर हुए व्यय से सम्बन्धित बीजक (जी.एस.टी.सहित) उपलब्ध कराना होगा। 5. अनुदान प्रोजेक्ट के भौतिक निरीक्षण के उपरांत ही प्रदान किया जायेगा। 6. उक्त सहायता/अनुदान संबंधित को एक बार ही अनुमन्य होगा।
5(2) नये मल्टीप्लेक्स	पर्वतीय क्षेत्रों के मल्टीप्लेक्स में प्रयोग होने वाले उपकरणों के क्रय पर होने वाले व्यय का 25 प्रतिशत या रु. 25 लाख तक, जो भी कम हो।	1. वित्तीय सहयोग की धनराशि संबंधित फर्म/कंपनी/संस्थान को एक बार ही अनुमन्य होगी। 2. अनुदान की धनराशि नये मल्टीप्लेक्स के पूर्ण होने पर दी जायेगी। 3. प्रोजेक्ट पूर्ण होने का प्रमाण पत्र संबंधित जिलाधिकारी से प्राप्त करना होगा। 4. उपकरण क्रय करने पर हुए व्यय से सम्बन्धित बीजक (जी.एस.टी.सहित) उपलब्ध कराना होगा।

		5. यह अनुदान प्रोजेक्ट के भौतिक निरीक्षण के उपरांत ही प्रदान किया जायेगा। 6. उक्त सहायता/अुनदान संबंधित को एक बार ही अनुमन्य होगा।
5.(3) नये मोबाईल थियेटर	पर्वततीय क्षेत्रों में मोबाईल थियेटर वाहन के क्रय पर होने वाले व्यय का 25 प्रतिशत या रु. 15 लाख तक, जो भी कम हो।	1. उक्त वित्तीय सहयोग की धनराशि संबंधित व्यक्ति/फर्म/कंपनी/संस्थान को एक बार ही अनुमन्य होगी। 2. अनुदान की धनराशि नये मोबाईल थियेटर वाहन क्रय करने पर दी जायेगी। 3. मोबाईल थियेटर वाहन क्रय करने पर हुए व्यय से सम्बन्धित बीजक (जी.एस.टी.सहित) उपलब्ध कराना होगा। 4. अनुदान मोबाईल थियेटर वाहन के भौतिक निरीक्षण के उपरांत ही प्रदान किया जायेगाा। 5. उक्त सहायता/अनुदान संबंधित को एक बार ही अनुमन्य होगा।
5.(4) पोस्ट प्रोडक्शन स्टूडियो	नये पोस्ट प्रोडक्शन स्टूडियो में प्रयोग होने वाले उपकरणों के क्रय पर होने वाले व्यय का 25 प्रतिशत या 25 लाख तक जो भी कम हो।	1. वित्तीय सहयोग की धनराशि संबंधित फर्म/कंपनी/संस्थान को एक बार ही अनुमन्य होगी। 2. यह अनुदान की धनराशि नये पोस्ट प्रोडक्शन स्टूडियो के पूर्ण होने पर दी जायेगी। 3. प्रोजेक्ट पूर्ण होने का प्रमाण पत्र संबंधित जिलाधिकारी से प्राप्त करना होगा। 4. उपकरण क्रय करने पर हुए व्यय से सम्बन्धित बीजक (जी.एस.टी.सहित) उपलब्ध कराना होगा। 5. यह अनुदान प्रोजेक्ट के भौतिक निरीक्षण के उपरांत ही प्रदान किया जायेगा। 6. यह अनुदान देहरादून, हरिद्वार, उधमसिंह नगर एवं नैनीताल जनपदों को प्रतिवर्ष 2–2 स्टूडियो तथा अन्य जनपदों में प्रतिवर्ष 1–1 स्टूडियो के लिये प्रदान किया जायेगा। **7.** उक्त सहायता/अनुदान संबंधित को एक बार ही अनुमन्य होगा।
5.(5) नये फिल्म प्रशिक्षण संस्थान	नये फिल्म प्रशिक्षण संस्थान में प्रयोग होने वाले उपकरणों के क्रय हेतु 25 प्रतिशत तक या रु. 50 लाख तक, जो भी कम हो।	1. फर्म अथवा कंपनी फिल्म संबंधी प्रशिक्षण संस्थान के रूप में राज्य सरकार के अधीन पंजीकृत होना चाहिए, जिसमें केवल फिल्मों से संबंधित विभिन्न प्रकार के कोर्स संचालित करने होंगे। जैसे– फिल्म एक्टिंग, साउण्ड एडिटिंग, डायरेक्शन/स्क्रीन प्ले, फिल्म एडिटिंग, राईटिंग, डबिंग आर्टिस्ट, मैकअप आर्टिस्ट, कैमरामैन, विभिन्न उपकरणों को संचालित करने वाले टैक्निशियन के कोर्स आदि। 2. अनुदान प्रदान करने के उपरांत संस्थान को तीन वर्ष तक संचालित करना अनिवार्य होगा। इस आशय का शपथ पत्र विभाग में जमा कराना होगा। 3. प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना हेतु भूमि क्रय से संबंधित अभिलेख एवं भवन निर्माण संबंधी आंगणन/मानचित्र अभिलेख प्रस्तुत करने होंगे। 4. प्रशिक्षण संस्थान के पास अकादमिक एवं अन्य

		पाठयक्रमों/विषयों को संचालित करने वाले विभागाध्यक्षों को इस क्षेत्र का पर्याप्त अनुभव होना चाहिए जिसकी सूची विभाग में उपलब्ध करानी होगी। 5. प्रशिक्षण संस्थान में फिल्म क्षेत्र से संबंधित विषय विशेषज्ञ अनुभवी कार्मिक होने चाहिए। तत्संबंधी अभिलेख संलग्न करने होंगे। 6. स्थापित होने वाले प्रशिक्षण संस्थान में लाइब्रेरी, ऑडिटोरियम व फिल्म स्टूडियो स्थापित होना चाहिए। 7. अनुदान/सहायता संबंधित को एक बार ही अनुमन्य होगा।

6. फिल्मों को अनुदान : राज्य सरकार द्वारा प्रदेश में फिल्मों की शूटिंग को प्रोत्साहित करने व स्थानीय स्तर पर रोजगार सृजन, राज्य की आय में वृद्धि तथा स्थानीय फिल्मों एवं कलाकारों को बढ़ावा दिये जाने के दृष्टिगत प्रोत्साहन स्वरूप फिल्मों को अनुदान/वित्तीय सहायता प्रदान की जायेगी, जो निम्नानुसार होगी :–

श्रेणी	फिल्म अनुदान	पात्रता
6.(1) उत्तराखण्ड की क्षेत्रीय बोली गढवाली, कुमांऊनी एवं जौनसारी फिल्में	फिल्म शूटिंग की अवधि के दौरान राज्य में व्यय की गई धनराशि का 40 प्रतिशत या रु. 2 करोड़ तक, जो भी कम हो, की धनराशि अनुदान स्वरूप दी जायेगी।	1. सेंसर बोर्ड का प्रमाण पत्र। (**OTT** को छोड़कर) 2. उत्तराखण्ड फिल्म विकास परिषद से निर्गत अनुमति पत्र की प्रति। 3. फिल्म की शूटिंग अवधि में उत्तराखण्ड राज्य में व्यय की गई कुल धनराशि का विवरण, सी.ए. सर्टिफिकेट एवं बीजक (GST सहित)। 4. फिल्म का प्रदर्शन कम से कम 10 सिनेमा स्क्रीन में होना आवश्यक है। (**OTT** पर प्रसारित फिल्मों को छोड़कर) जिसका प्रमाण–पत्र उपलब्ध कराना अनिवार्य होगा। 5. फिल्म को अनुदान फिल्म के निर्माता या उनके द्वारा अधिकृत व्यक्ति अथवा संस्था को प्रदान किया जायेगा। 6. Over the Top (**OTT**) पर प्रसारित फिल्में भी अनुदान हेतु पात्र होंगी, किन्तु संबंधित निर्माता/कम्पनी को **OTT** प्लेटफार्म के साथ सम्पादित अनुबंध–पत्र संलग्न करना अनिवार्य होगा।

	6.(2) हिन्दी तथा भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में उल्लिखित भाषा की फिल्में	1. फिल्म शूटिंग की अवधि के दौरान राज्य में व्यय की गई धनराशि का 30 प्रतिशत या रु. 2 करोड़ तक, जो भी कम हो, की धनराशि अनुदान स्वरूप दी जायेगी। 2. जिन फिल्म निर्माताओं द्वारा राज्य के पर्वतीय क्षेत्रों के नये डेस्टीनेशन में कम से कम 20 दिन फिल्म की शूटिंग की जायेगी, ऐसे फिल्म निर्माता को अनुमन्य अनुदान का 10 प्रतिशत अतिरिक्त अनुदान दिया जायेगा। 3. हिन्दी एवं अन्य भाषा की भारतीय फिल्मों में पांच मुख्य अभिनेताओं/अभिनेत्रियों में से उत्तराखण्ड मूल के किसी एक या उससे अधिक अभिनेता/अभिनेत्री को अभिनय हेतु शामिल किया जाता है, तो उस अभिनेता/अभिनेत्री को दिये जाने वाले पारिश्रमिक अथवा सम्मिलित रूप से कुल रुपये 20 लाख तक, जो भी कम हो का अतिरिक्त अनुदान दिया जायेगा।	1. सेंसर बोर्ड का प्रमाण पत्र। (**OTT** को छोड़कर) 2. उत्तराखण्ड फिल्म विकास परिषद से निर्गत अनुमति पत्र की प्रति। 3. फिल्म की शूटिंग अवधि में उत्तराखण्ड राज्य में व्यय की गई कुल धनराशि का विवरण, सी.ए. सर्टिफिकेट एवं बीजक (GST सहित)। 4. फिल्म का प्रदर्शन कम से कम 50 सिनेमा स्क्रीन में होना आवश्यक है। (**OTT** पर प्रसारित फिल्मों को छोड़कर) जिसका प्रमाण–पत्र उपलब्ध कराना अनिवार्य होगा। 5. फिल्म को अनुदान फिल्म के निर्माता या उनके द्वारा अधिकृत व्यक्ति अथवा संस्था को प्रदान किया जायेगा। 6. Over the Top (**OTT**) पर प्रसारित फिल्में भी अनुदान हेतु पात्र होंगी, किन्तु संबंधित निर्माता/कम्पनी को **OTT** प्लेटफार्म के साथ सम्पादित अनुबंध–पत्र संलग्न करना अनिवार्य होगा। 7. उत्तराखण्ड के कलाकार होने की दशा में स्थाई निवास प्रमाण–पत्र देना अनिवार्य होगा।
	6.(3) विदेशी भाषा की फिल्में	फिल्म शूटिंग की अवधि के दौरान राज्य में व्यय की गई धनराशि का 25 प्रतिशत या रु. 1.5 करोड़ तक, जो भी कम हो, की धनराशि अनुदान स्वरूप दी जायेगी।	1. भारत सरकार से निर्गत अनुमति पत्र। 2. उत्तराखण्ड फिल्म विकास परिषद द्वारा निर्गत अनुमति पत्र। 3. उत्तराखण्ड में फिल्म की शूटिंग अवधि में उत्तराखण्ड राज्य में व्यय की गई कुल धनराशि का विवरण, सी.ए. सर्टिफिकेट एवं बीजक (GST सहित) 4. उन्हीं फिल्मों को अनुदान हेतु पात्र समझा जायेगा, जो संबंधित देश या अन्य देशों में 50 से अधिक सिनेमा स्क्रीन में प्रदर्शित हुई हो अथवा किस स्तर के **OTT** प्लेटफार्म पर फिल्म प्रदर्शित हुई है।

			तद्नुसार ही अनुदान की धनराशि का निर्धारण किया जायेगा। 5. Over the Top (**OTT**) पर प्रसारित फिल्में भी अनुदान हेतु पात्र होगी।
	6.(4) हिन्दी तथा भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में उल्लिखित भाषा एवं उत्तराखण्ड की क्षेत्रीय बोली गढवाली, कुमाँउनी, जौनसारी की वेबसीरीज के एक एपिसोड को अनुदान।	वेबसीरीज की शूटिंग अवधि में उत्तराखण्ड में व्यय की गई धनराशि का 30 प्रतिशत या 25 लाख तक, जो भी कम हो की धनराशि अनुदान स्वरूप प्रदान की जायेगी।	1. उत्तराखण्ड फिल्म विकास परिषद द्वारा निर्गत अनुमति पत्र। 2. वेबसीरीज फिल्म के प्रसारण का प्रमाण पत्र। 3. वेबसीरीज की शूटिंग अवधि में उत्तराखण्ड राज्य में व्यय की गई कुल धनराशि का विवरण, सी.ए. सर्टिफिकेट एवं बीजक (GST सहित)।

7. उत्तराखण्ड फिल्म पुरस्कार : उत्तराखण्ड फिल्म विकास परिषद द्वारा प्रतिवर्ष फिल्म उत्सव का आयोजन किया जायेगा। फिल्म उत्सव किसी ख्याति प्राप्त संस्था के साथ भी आयोजित किया जा सकता है। इस फिल्म उत्सव में राज्य सरकार द्वारा फिल्मों में उत्कृष्ट योगदान के लिए राज्य के किसी प्रतिष्ठित व्यक्ति के नाम से फिल्म पुरस्कार प्रदान किया जायेगा तथा सर्वोत्तम हिन्दी तथा अन्य भाषा एवं उत्तराखण्ड की क्षेत्रीय बोली की फिल्मों, जिसकी शूटिंग उत्तराखण्ड में की गई हो, के निर्माण से जुड़े व्यक्तियों, उत्तराखण्ड में फिल्म उद्योग से संबंधित प्रचार–प्रसार पत्रकारिता के माध्यम से किया गया हो, किसी लाईन प्रोड्यूसर ने अधिक से अधिक फिल्मों की शूटिंग उत्तराखण्ड में कराई हो, को सम्मानित करने के लिए वार्षिक राज्य फिल्म पुरस्कार प्रदान किये जायेंगे। फिल्म पुरस्कार हेतु प्रतिवर्ष दिनांक 01 जनवरी, से 31 दिसम्बर, के बीच प्रदर्शित हिन्दी तथा अन्य भाषा एवं उत्तराखण्ड की क्षेत्रीय बोली की फिल्मों/डाक्यूमेंट्री फिल्मों पर विचार किया जायेगा। पुरस्कारों का चयन उत्तराखण्ड फिल्म विकास परिषद में गठित समिति द्वारा किया जायेगा।

7.(1) हिन्दी एवं अन्य भाषा की फिल्म हेतु पुरस्कार :

क्र.सं.	पुरस्कार की श्रेणी	पुरस्कार की धनराशि
1	सर्वोत्तम फिल्म	10,00,000
2	सर्वोत्तम निर्देशक	5,00,000
3	सर्वोत्तम अभिनेता	5,00,000
4	सर्वोत्तम अभिनेत्री	5,00,000
5	सर्वोत्तम पटकथा लेखक	5,00,000
6	सर्वोत्तम गायक	5,00,000
7	सहायक अभिनेता	2,00,000
8	सहायक अभिनेत्री	2,00,000
9	सिनेमाटोग्राफर	2,00,000

7.(2) गढ़वाली/कुमाऊंनी/जौनसारी बोली की फिल्म हेतु पुरस्कार :

क्र.सं.	पुरस्कार की श्रेणी	पुरस्कार की धनराशि
1	सर्वोत्तम फिल्म	10,00,000
2	सर्वोत्तम निर्देशक	5,00,000
3	सर्वोत्तम अभिनेता	5,00,000
4	सर्वोत्तम अभिनेत्री	5,00,000
5	सर्वोत्तम पटकथा लेखक	5,00,000
6	सर्वोत्तम गायक	5,00,000
7	सहायक अभिनेता	2,00,000
8	सहायक अभिनेत्री	2,00,000
9	सिनेमाटोग्राफर	2,00,000
10	सर्वोत्तम एलबम गायक	2,00,000

7.(3) अन्य पुरस्कारः–

क्र. सं.	पुरस्कार की श्रेणी	पुरस्कार की धनराशि
1	लाईफ टाईम अचीवमेंट फिल्म पुरस्कार **(फिल्म क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य के लिए)**	11,00,000
2	सर्वोत्तम फिल्म पत्रकार **(जो उत्तराखण्ड में विगत 5 वर्षो से कार्यरत हो)**	2,00,000
3	सर्वोत्तम लाईन प्रोड्यूसर **(जो उत्तराखण्ड फिल्म विकास परिषद में पंजीकृत हो)**	2,00,000
4	सर्वोत्तम डाक्यूमेंट्री निर्माता **(जो किसी राष्ट्रीय या अर्न्तराष्ट्रीय स्तर पर प्रतिष्ठित संस्थान द्वारा पुरस्कृत की गई हो)**	2,00,000

8. उत्तराखण्ड फिल्म पुरस्कार के चयन हेतु समिति का गठन :

8.(1) उपाध्यक्ष, उत्तराखण्ड फिल्म विकास परिषद – अध्यक्ष

8.(2) महानिदेशक/मुख्य कार्यकारी अधिकारी, UFDC – पदेन सदस्य

8.(3) फिल्म विकास परिषद में नामित 03 सदस्य (गैर सरकारी) – सदस्य

8.(4) उत्तराखण्ड फिल्म विकास परिषद में उपाध्यक्ष एवं गैर सरकारी सदस्य नामित न होने की दशा में महानिदेशक की अध्यक्षता में पुरूस्कार हेतु चयन समिति गठित की जायेगी। समिति में 03 गैर सरकारी सदस्य जो फिल्म विद्या से संबंधित हो, सम्मिलित किये जायेंगे जिनका नामांकन मुख्यमंत्री जी के अनुमोदनोंपरात किया जायेगा।

9. उत्तराखण्ड की क्षेत्रीय बोली की फिल्मों के प्रसारण हेतु सहयोग :

9. (1) राज्य में स्थापित सभी सिनेमाघरों/मल्टीप्लेक्स स्वामियों को अनिवार्य रूप से उत्तराखण्ड की क्षेत्रीय बोली की फिल्मों को सेंसर प्रमाण–पत्र प्राप्त होने के बाद एक सप्ताह तक प्रतिदिन व्यावसायिक **Terms** पर अनिवार्य रूप से दिखाया जाना होगा।

9. (2) राज्य सरकार के अधीन स्थापित नगर निगम/नगर पालिका / विभागीय ऑडीटोरियम/नगर पंचायत आदि में निर्माता क्षेत्रीय बोली की फिल्मों का प्रदर्शन कर सकेंगे तथा कुल विक्रय किये गये टिकटों की 10 प्रतिशत धनराशि संबंधित विभाग को भुगतान करनी होगी।

9. (3) उत्तराखण्ड की क्षेत्रीय बोली की फिल्मों का प्रसारण उत्तराखण्ड के दूरदर्शन चैनल तथा अन्य किसी भी चैनल पर प्रथम बार प्रसारित किये जाने हेतु चैनल (एक बार के प्रसारण हेतु) द्वारा लिये जाने वाले शुल्क का 20 प्रतिशत अथवा रू. 5 लाख तक, जो भी कम हो, की प्रतिपूर्ति संबंधित फिल्म

निर्माता को की जायेगी।

10. फिल्म उत्सव हेतु वित्तीय सहयोगः

राष्ट्रीय, अन्तर्राष्ट्रीय तथा राज्य स्तर में आयोजित होने वाले फिल्मोत्सव में उत्तराखण्ड फिल्म विकास परिषद द्वारा प्रतिभाग करने पर प्रायोजित (sponsorship) की एक निश्चित धनराशि का वित्तीय सहयोग प्रदान किया जा सकता है तथा अर्न्तराष्ट्रीय स्तर पर उत्तराखण्ड राज्य की फिल्म/डाक्यूमेंट्री/लघु फिल्म के स्क्रीनिंग हेतु चयन होने पर आवश्यक वित्तीय सहयोग प्रदान किया जा सकता है।

11. फिल्म शूटिंग हेतु आवासीय सुविधाः

गढ़वाल मण्डल विकास निगम, कुमांऊ मण्डल विकास निगम तथा राज्य सरकार के अन्य अतिथि गृहों में फिल्म की शूटिंग अवधि में फिल्म यूनिटों को आवासीय सुविधा में 50 प्रतिशत की छूट प्रदान की जायेगी, जिसकी प्रतिपूर्ति संबंधित अतिथिगृहों को उत्तराखण्ड फिल्म विकास परिषद द्वारा की जायेगी।

12. छात्रवृत्ति :

फिल्म एण्ड टेलीविजन संस्थान, पूणे, महाराष्ट्र तथा सत्यजीत–रे फिल्म एवं टेलीविजन संस्थान, कोलकाता में प्रवेश लेने वाले उत्तराखण्ड राज्य के स्थाई निवासी छात्र–छात्राओं को पाठ्यक्रम पूर्ण होने तथा प्रमाण पत्र प्राप्त करने के उपरांत पाठ्यक्रम पर हुए व्यय का एस.टी./एस.सी./ओ.बी.सी. को 75 प्रतिशत एवं सामान्य अभ्यर्थियों को 50 प्रतिशत की छात्रवृत्ति प्रदान की जायेगी।

13. फिल्म पाठ्यक्रम संचालित करना :

उत्तराखण्ड के विश्वविद्यालय या राज्य सरकार से मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालयों में स्कूल ऑफ सिनेमेटिक स्टडिज की स्थापना करते हुए फिल्म शिक्षा पर कोर्स प्रारम्भ किए जायेंगे। प्रसिद्ध राष्ट्रीय और अर्न्तराष्ट्रीय स्तर की शिक्षण संस्थाओं द्वारा संचालित पाठ्यक्रमों का अध्ययन कर कोर्स डिजाइन किए जाएं। पाठ्यक्रम आने वाले समय में फिल्म उद्योग की मांग के अनुरूप होंगे और सिनेमा के विविध आयामों को समावेशित करने वाला हो, इस पर विशेष जोर दिया जायेगा। इससे स्थानीय युवाओं व कलाकारों की दक्षता में वृद्धि होगी।

14. फिल्मों की शूटिंग हेतु सिंगल विंडो सिस्टम : उत्तराखण्ड में फिल्मों की शूटिंग को प्रोत्साहित करने तथा फिल्म निर्माता–निर्देशकों को शूटिंग की अनुमति सरलता से मिल सके, इसके लिए सिंगल विंडो सिस्टम तैयार किया गया है, जिसमें निम्नानुसार कार्य किया जायेगा :–

14.(1) उत्तराखण्ड के विभिन्न स्थानों पर फिल्म शूटिंग हेतु सिंगल विंडो सिस्टम के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन स्वीकार किये जायेंगे, जिसमें सभी संबंधित विभाग ऑनलाइन संस्तुति UFDC को अधिकतम एक सप्ताह में प्रेषित करेंगे। तदोपरांत फिल्म विकास परिषद द्वारा अधिकतम 2 सप्ताह के भीतर शूटिंग की ऑनलाइन अनुमति प्रदान की जायेगी।

14.(2) फिल्म शूटिंग हेतु अनुमति पत्र फिल्म विकास परिषद के नोडल अधिकारी द्वारा ONLINE जारी किया जायेगा। उक्त शूटिंग अनुमति पत्र सभी सार्वजनिक स्थलों पर फिल्म शूटिंग हेतु मान्य होगा।

14.(3) उत्तराखण्ड में शूटिंग होने वाली फिल्मों के लिये राज्य सरकार के अधीन शूटिंग शुल्क नही लिया जायेगा। राज्य सरकार के विभागों द्वारा शूटिंग हेतु कोई अन्य शुल्क नही लिया जायेगा।

14.(4) वन विभाग द्वारा पूर्व में निर्धारित शूटिंग शुल्क को पूर्णतयाः समाप्त समझा जायेगा। किन्तु राजाजी नेशनल पार्क एवं कार्बेट नेशनल पार्क के लिए निर्धारित दरों पर शूटिंग शुल्क का भुगतान करना होगा।

14.(5) शूटिंग स्थल पर यदि पूर्व से कोई पार्किंग शुल्क, निर्धारित हो, तो फिल्म निर्माता द्वारा उसका भुगतान संबंधित को किया जायेगा।

14.(6) फिल्मों की शूटिंग अवधि में पुलिस विभाग के संबंधित जनपद के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक द्वारा अनिवार्य रूप से कम से कम 05 पुलिस कर्मी फिल्म निर्माता के अनुरोध पर शूटिंग अवधि तक निःशुल्क उपलब्ध कराये जायेंगे। इससे अधिक संख्या में पुलिस कर्मी पुलिस विभाग द्वारा निर्धारित शुल्क के आधार पर उपलब्ध कराये जा सकेंगे।

14.(7) वन विभाग एकल खिडकी व्यवस्था के अन्तर्गत सक्षम स्तर पर एक नोडल अधिकारी नियुक्त करेगा, जो CEO/नोडल अधिकारी, उत्तराखण्ड फिल्म विकास परिषद द्वारा संदर्भित शूटिंग प्रकरणों पर एक सप्ताह के भीतर अपनी सहमति/असहमति प्रदान करेंगे।

14.(8) महानिदेशक सूचना/मुख्य कार्यकारी अधिकारी/नोडल अधिकारी, राज्य फिल्म विकास परिषद अनुमति पत्र देते समय सम्यक प्रतिबन्धों, शर्तों तथा चेतावनियों को जारी करने हेतु अधिकृत होंगे। फिल्म निर्माता द्वारा शूटिंग अनुमति हेतु आवेदन प्राप्त होने के अधिकतम दो सप्ताह के भीतर निर्माता को अनुमति देने अथवा अनुमति नहीं देने की सूचना दी जायेगी।

14.(9) महानिदेशक सूचना/मुख्य कार्यकारी अधिकारी/नोडल अधिकारी उत्तराखण्ड फिल्म विकास परिषद द्वारा अनुमति प्रदान करने की स्थिति में संबंधित जिलाधिकरी एवं वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक/संबंधित थानाध्यक्ष को सूचित करेंगे, जो कानून व्यवस्था एवं सुरक्षा संबंधी व्यवस्थाएं सुनिश्चित करेंगे।

15. शूटिंग लोकेशन/डिजीटल फिल्म डायरेक्ट्री :

राज्य में फिल्म शूटिंग हेतु आने वाले फिल्म निर्माता–निर्देशकों की सुविधा हेतु एक डिजीटल फिल्म डायरेक्ट्री तैयार की जायेगी। उक्त फिल्म डायरेक्ट्री में राज्य के फिल्म निर्माता, निर्देशक, अभिनेता, अभिनेत्री, संगीतकार, कोरियोग्राफर, गीतकार, कहानीकार, लेखक, कैमरामैन, फोटोग्राफर, तकनीशियन, स्पॉट बॉय, फिल्म प्रोडक्शन हाउस, स्टूडियों स्वामी तथा उत्तराखण्ड के शूटिंग डेस्टिनेशन/लोकेशन आदि का विवरण संकलित किया जायेगा। उक्त डायरेक्ट्री निविदा के माध्यम से प्रस्ताव आमंत्रित कर तैयार की जायेगी।

16. लाइन प्रोडयूसर का पंजीकरण : उत्तराखण्ड में फिल्म निर्माता–निर्देशकों से समन्वय व शूटिंग करने हेतु लाइन प्रोडयूसर का पंजीकरण किया जायेगा। उत्तराखण्ड में शूटिंग की जाने वाली फिल्मों के लिए फिल्म विकास परिषद में पंजीकृत लाइन प्रोडयूसर ही मुख्य रूप से अधिकृत होंगे। पंजीकरण की पात्रता निम्नानुसार होगी :–

16.(1) लाइन प्रोडयूसर के रूप में कम से कम 02 वर्षो से उत्तराखण्ड में कार्य करने का अनुभव हो। प्रमाण पत्र संलग्न करना अनिवार्य होगा।

16.(2) लाइन प्रोडयूसर की फर्म पंजीकृत हो तथा पंजीकृत फर्म से अधिकतम 03 सदस्यों को लाइन प्रोडयूसर के रूप में UFDC में पंजीकृत किया जायेगा।

16.(3) फर्म का टर्न ओवर प्रतिवर्ष कम से कम रू. 25 लाख रुपये हो।

16.(4) उत्तराखण्ड फिल्म विकास परिषद में पंजीकृत लाइन प्रोडयूसर को परिषद द्वारा परिचय पत्र प्रदान किया जायेगा।

16.(5) पंजीकृत लाइन प्रोडयूसर का आकस्मिक निधन होने पर उनके आश्रित को रु. 2 लाख तक की धनराशि की सहायता प्रदान की जायेगी।

16.(6) विभाग में पंजीकृत लाईन प्रोड्यूसर के संबंध में शूटिंग से संबंधित यदि कोई शिकायत की पुष्टि हो जाती है तो उसको उत्तराखण्ड राज्य में 5 वर्षो के लिए ब्लैक लिस्ट किया जायेगा।

17. उत्तराखण्ड फिल्म विकास परिषद में वित्तीय अधिकारों का प्रतिनिधायन।

17.(1) उत्तराखण्ड फिल्म विकास परिषद के समस्त कार्यों पर होने वाला व्यय विभाग/परिषद को प्राप्त होने वाले वित्तीय वर्ष के वार्षिक बजट के सुसंगत मद से वहन किया जायेगा।

17.(2) अनुदान संबधी प्रकरणों के लिए तकनीकी एवं वित्तीय समिति की संस्तुति के बाद मा. मुख्यमंत्री/मा. अध्यक्ष के अनुमोदन पर धनराशि स्वीकृत की जायेगी।

17.(3) अनुदान के अतिरिक्त अन्य सभी प्रकार के प्रकरणों में रुपये 25 लाख तक की धनराशि की स्वीकृति एवं आहरण का अधिकार महानिदेशक/मुख्य कार्यकारी अधिकारी को होगा, जबकि रुपये 25 लाख से अधिक की धनराशि के संबंध में मा. मुख्यमंत्री/मा. अध्यक्ष की संस्तुति/अनुमोदन के पश्चात् आहरण किया जा सकेगा।0

18. अनुदान हेतु समितियों का गठन :

18.(1) तकनीकी समिति : अनुदान हेतु प्राप्त होने वाले प्रस्तावों का परीक्षण तकनीकी समिति द्वारा किया जायेगा, जिसका स्वरूप निम्नानुसार होगा :–

18.(1)(i) उपाध्यक्ष, उत्तराखण्ड फिल्म विकास परिषद – अध्यक्ष

18.(1)(ii) महानिदेशक/मुख्य कार्यकारी अधिकारी, UFDC – पदेन सदस्य

18.(1)(iii) फिल्म विकास परिषद में नामित 03 सदस्य (गैर सरकारी) – सदस्य

18.(1)(iv) नोडल अधिकारी, UFDC –पदेन सदस्य सचिव

18.(2) फिल्म विकास परिषद में उपाध्यक्ष, तथा गैर सरकारी सदस्य नामित न होने की दशा में तकनीकी समिति निम्नानुसार होगी :–

18.(2) (i) महानिदेशक सूचना/मुख्य कार्यकारी अधिकारी – पदेन अध्यक्ष

18.(2) (ii) मुख्य कार्यकारी अधिकारी, पर्यटन अथवा उनके द्वारा नामित अधिकारी – पदेन सदस्य

18.(2))(iii) निदेशक संस्कृति अथवा उनके द्वारा नामित अधिकारी –पदेन सदस्य

18.(2) (iv) नोडल अधिकारी, UFDC –पदेन सदस्य सचिव

18.(3) वित्तीय समिति :तकनीकी समिति की संस्तुति के उपरांत अनुदान दिये जाने के लिए वित्त समिति होगी। वित्त समिति परीक्षण कर अपनी संस्तुति उत्तराखण्ड फिल्म विकास परिषद के मा. उपाध्यक्ष/मा. अध्यक्ष को प्रस्तुत करेगी, जिस पर अंतिम निर्णय परिषद के मा. अध्यक्ष/मा. मुख्यमंत्री जी का होगा। वित्तीय समिति का स्वरूप निम्नानुसार होगा :–

18.(3)(i) महानिदेशक, सूचना/मुख्य कार्यकारी अधिकारी – पदेन अध्यक्ष

18.(3)(ii) निदेशक/अपर निदेशक, सूचना/कार्यकारी अधिकारी/अपर मुख्य कार्यकारी–पदेन सदस्य सचिव

18.(3)(iii) वरिष्ठ वित्त अधिकारी – पदेन सदस्य

19. उत्तराखण्ड फिल्म विकास परिषद का स्वरूप : उत्तराखण्ड फिल्म नीति–2022 के अन्तर्गत फिल्म विकास परिषद का गठन किया जायेगा, जिसका नाम ''उत्तराखण्ड फिल्म विकास परिषद'' होगा। परिषद में अधिकतम 14 सदस्य होंगे। परिषद का स्वरूप निम्नानुसार होगाः–

1	मा0 मुख्यमंत्री	पदेन अध्यक्ष	01
2	क्षेत्रीय अथवा हिन्दी भाषा बोली की फिल्म/कला/संस्कृति क्षेत्र के विशेषज्ञ	पदेन उपाध्यक्ष	01
3	उत्तराखण्ड राज्य की क्षेत्रीय बोली की फिल्मों व अन्य हिन्दी फिल्मों से जुड़े फिल्मकार/ /गीतकार/संगीतकार/निर्देशक/निर्माता एवं फिल्म जगत से संबंधित विषय विशेषज्ञ (नामित)	पदेन सदस्य	03
4	मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन	पदेन सदस्य	01
5	पुलिस महानिदेशक, पुलिस	पदेन सदस्य	01
6	प्रमुख वन संरक्षक, वन विभाग	पदेन सदस्य	01
7	प्रमुख सचिव/सचिव, सूचना विभाग, उत्तराखण्ड शासन	पदेन सदस्य	01
8	मुख्यकार्यकारी अधिकारी, उत्तराखण्ड पर्यटन विकास परिषद	पदेन सदस्य	01
9	महानिदेशक/ मुख्य कार्यकारी अधिकारी, उत्तराखण्ड फिल्म विकास परिषद/सूचना	पदेन सदस्य सचिव	01
10	निदेशक, संस्कृति	पदेन सदस्य	01
11	निदेशक/अपर निदेशक, सूचना	सदस्य	01
12	नोडल अधिकारी, उत्तराखण्ड फिल्म विकास परिषद/ सूचना एवं लोक सम्पर्क विभाग, उत्तराखण्ड	पदेन संयोजक	01

19.(1) फिल्म विकास परिषद में नियुक्त उपाध्यक्ष को सरकार द्वारा निर्धारित मानदेय तथा अन्य भत्ते देय होंगे।

19.(2) गैर सरकारी सदस्यों को परिषद की बैठक के दिवस को निर्धारित मानदेय, दैनिक भत्ता एवं यात्रा भत्ता देय होगा, जो श्रेणी–क स्तर के अधिकारी (ग्रेड पे–7600) के समतुल्य होगा।

19.(3) ''फिल्म विकास परिषद में नामित उपाध्यक्ष एवं गैर सरकारी सदस्यों के योगदान/कार्यों की संतोषजनक स्थिति का फिल्म विकास परिषद के अध्यक्ष (मा. मुख्यमंत्री) द्वारा समय–समय पर मूल्यांकन किया जायेगा तथा किसी भी स्तर पर उक्त संबंध में असंतोषजनक स्थिति होने की दशा में बिना पूर्व सूचना के उक्त सदस्यता समाप्त किये जाने का निर्णय अध्यक्ष द्वारा लिया जायेगा।

19.(4) परिषद में उपाध्यक्ष एवं गैर सरकारी सदस्यों को नामित करने का अधिकार मा. मुख्यमंत्री/सूचना मंत्री को होगा। परिषद के उपाध्यक्ष तथा नामित गैर सरकारी सदस्यों का कार्यकाल कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से तीन वर्ष का होगा। फिल्म विकास परिषद एक स्थाई संस्था होगी और अध्यक्ष सहित एक तिहाई सदस्यों के साथ परिषद का कोरम पूर्ण माना जायेगा।

20. परिषद के कार्य संचालन हेतु निम्नानुसार कार्यकारी मण्डल होगा :

20.(1) मुख्य कार्यकारी अधिकारी – पदेन महानिदेशक, सूचना एवं लोक सम्पर्क विभाग, उत्तराखण्ड

20.(2) कार्यकारी अधिकारी/अपर मुख्य कार्यकारी अधिकारी – पदेन निदेशक/अपर निदेशक, सूचना

20.(3) सचिव, कार्यकारी मण्डल – पदेन नोडल अधिकारी

20.(4) वित्त परामर्शी– पदेन वित्त अधिकारी/वरिष्ठ वित्त अधिकारी

20.(5) कार्यकारी मण्डल परिषद के कार्यों के प्रति उत्तरदायी होगा।

20.(6) मुख्य कार्यकारी अधिकारी परिषद के विभागाध्यक्ष के रूप में कार्य करेंगे और इस नीति में निर्धारित नियमों के अन्तर्गत प्रशासनिक, वित्तीय एवं प्रबंधकीय कार्यों का संपादन करेंगे।

20.(7) उत्तराखण्ड फिल्म विकास परिषद के कार्य संचालन हेतु विभागीय अधिकारियों से एक नोडल अधिकारी नामित किया जायेगा।

21. उत्तराखण्ड फिल्म विकास परिषद के कार्यो को निष्पादित करने हेतु आउटसोर्स पर नियुक्तियाँ :

क्र.स.	पद का नाम	अर्हता	पदों की संख्या	मानदेय प्रतिमाह
21(1)	कार्यकारी अधिकारी	• स्नातकोत्तर • फिल्म/मनोरंजन उद्योग में कम से कम 5 वर्ष कार्य करने का अनुभव। • **Good communication skills.** • फिल्म नीतियों/नियमावलियों की जानकारी होनी चाहिए • राष्ट्रीय एवं अर्न्तराष्ट्रीय फिल्म उद्योग/बाजार के सम्बन्ध में जानकारी होनी चाहिए। • राष्ट्रीय एवं अर्न्तराष्ट्रीय स्तर पर फिल्म उत्सव के आयोजन कराये जाने का अनुभव।	01	2 लाख
21(2)	मार्केटिंग मैनेजर	• स्नातक • **Good communication skills.** • राष्ट्रीय/अर्न्तराष्ट्रीय फिल्म प्रोडक्शन हाऊस में कम से कम 2 वर्ष कार्य करने का अनुभव। • क्रियेटिव एवं डिजाईनिंग कार्य करने का अनुभव।	01	1 लाख
21(3)	ऑपरेशन मैनेजर	• स्नातक • इवेन्ट मैनेजमेंट एवं प्रोडक्शन कम्पनी के साथ कार्य करने का 02 वर्ष का अनुभव। • **Good communication skills.**	01	1 लाख
21(4)	फेस्टिवल मैनेजर	• स्नातक • राष्ट्रीय एवं अर्न्तराष्ट्रीय स्तर पर फिल्म उत्सव के आयोजन कराये जाने का अनुभव।	01	75 हजार

		• राष्ट्रीय एवं अर्न्तराष्ट्रीय स्तर पर आयोजित फिल्म समारोह के संबंध में जानकारी होनी चाहिए। • फिल्म निर्माण से संबंधित good communication skills.		
21(5)	ग्राफिक डिजाईनर / वीडियो एडिटर	• स्नातक • Editing software- Adobe Premiere, Adobe Photoshop, Da Vinci Resolve, Final Cut Pro पर कार्य करने का अनुभव। • Motion graphics and GIF बनाने का अनुभव। • क्रियेटिव, डिजाईन, ग्राफिक्स एडिटिंग का अनुभव।	01	50 हजार
21(6)	आईटी मैनेजर / वेब मैनेजर	• एम.सी.ए. (मास्टर ऑफ कम्प्यूटर एप्लीकेशन) • बी.टेक (सी.एस.आई.टी.) • प्रतिष्ठित फर्म में 02 वर्ष कार्य करने का अनुभव	01	50 हजार
21(7)	ऑफिस असिस्टैन्ट	• स्नातक • कम्प्यूटर में हिन्दी एवं अंग्रेजी टाईपिंग तथा **Ms Office** का ज्ञान होना चाहिए।	02	30 हजार
21(8)	अनुसेवक	• हाईस्कूल	02	20 हजार

21.(9) आउटसोर्स के पदों पर नियुक्तियाँ करने हेतु आवेदन–पत्र आमंत्रित किये जाएंगे। जिनके आवेदन पत्र पूर्ण पाये जाऐंगे, उनको साक्षात्कार के लिए आमंत्रित कर योग्यता (मैरिट) के आधार पर चयन किया जायेगा।

21.(10) नियुक्त कार्मिकों को प्रतिवर्ष निर्धारित मानदेय में 5 प्रतिशत की वृद्धि देय होगी।

21.(11) शासकीय कार्य से स्टेशन के बाहर जाने के लिए टी.ए./डी.ए.देय होगा। 75 हजार से 2 लाख मानदेय पर 7600 ग्रेड़–पे के आधार पर तथा 20 हजार से 50 हजार मानदेय पर 4800 ग्रेड–पे के आधार पर टी.ए./डी.ए. देय होगा।

21.(12) नियुक्त कार्मिकों के कार्यो की प्रतिवर्ष समीक्षा होगी। तदोपरांत ही उनकी सेवाओं को आगे के लिए जारी रखा जायेगा।

21.(13) कार्य संतोषजनक न पाये जाने पर किसी भी कार्मिक को एक माह का नोटिस देकर सेवाएं समाप्त की जा सकती है।

22. आउटसोर्स कार्मिकों की नियुक्ति के लिए निम्नानुसार चयन समिति होगी :

22.(1) महानिदेशक, पदेन मुख्य कार्यकारी अधिकारी, UFDC –अध्यक्ष
22.(2) फिल्म सुविधाकरण कार्यालय, भारत सरकार का एक सदस्य –सदस्य
22.(3) भारतीय फिल्म एवं टेलीविजन संस्थान (FTII) विशेषज्ञ –सदस्य
22.(4) निदेशक/अपर निदेशक, सूचना –सदस्य
22.(5) नोडल अधिकारी, UFDC –सदस्य

23. विधिक परिवर्तन :

23.(1) भविष्य में यथा आवश्यकता प्रदेश की फिल्म नियमावली में किसी भी प्रकार का परिवर्तन/शिथिलीकरण मुख्यमंत्री के अनुमोदनोपरान्त किया जा सकेगा।

23.(2) इस अधिसूचना के निर्गत होने की तिथि से पूर्व में उत्तराखण्ड शासन द्वारा निर्गत राज्य फिल्म विकास परिषद एवं क्षेत्रीय फिल्म विकास परिषद की सभी अधिसूचनाएं स्वतः निष्प्रभावी मानी जायेगी।

नोटः– प्रस्तावित फिल्म नीति–2022 के संबंध में कोई भी व्यक्ति अपने सुझाव दिनांक 30 जुलाई, 2022 तक विभागीय Email ufdc2015@gmail.com पर प्रेषित कर सकते है।